

पुणे,

संख्या-2174/15-17-89-63/110/87

श्री एचएसओ गौतम,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,  
2/19, संत विठ्ठल अंतारी रोड,  
दरियावाड़ा, नई दिल्ली।

विभाग 117 अनुभाग

लगातार दिनांक 27 जुलाई, 1989

विषय:- सनबीम इंग्लिश स्कूल, भावापुर, वाराणसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र  
दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

सूचे यह करने का निदेश हुआ है कि सनबीम इंग्लिश स्कूल, भावापुर, वाराणसी को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली के सम्बन्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिभाषित स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्धन आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रखी तथा उनसे सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद/ क्षेत्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित गुरुत्क से अधिक गुरुत्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षा तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अध्या शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेशा निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

31/7/89

॥ विषय प्रतिक्रिया ॥

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विभाग कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायताप्राप्त असावसीय उत्पत्ति माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पीजकाओं में रखा जायेगा ।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भगदीय,

॥ एल०एस० गौतम ॥  
संयुक्त सचिव।

संख्या- ॥ ११/१५-१७-८९-तदीदनांक ॥

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिक्षा कार्यालय, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- प्रबन्धक, सनबीम इंग्लिश स्कूल, भगवानपुर, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।

*Shankar*

Manager/Correspondent  
Sunbeam English School  
Bhagwanpur, Varanasi

*Shankar*

PRINCIPAL  
Sunbeam English School  
Bhagwanpur, Varanasi

आशा से,  
॥ एल०एस० गौतम ॥  
संयुक्त सचिव।